



वि.प्र. 1294-3/16



न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक - श्री मनोज कुमार गौड़ उम्र 35 वर्ष पिता श्री सुखलाल गौड़

निवासी- ग्राम चंदेरी पोस्ट घाटपिपरिया थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर

Adhar No. 7660 1901 5831

विरुद्ध

- श्री महेश प्रसाद पाण्डेय उम्र 77 वर्ष पिता स्व. एन. पी. पाण्डे

निवासी- 818/1, कमला नेहरु नगर वार्ड, स्नेह नगर, जबलपुर

Adhar No. 4957 4824 6576

(2) मध्यप्रदेश शासन

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ-21/2016-17 मनोज कुमार गौड़ विरुद्ध श्री महेश प्रसाद पाण्डेय ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है।


रिविजन के तथ्य

1. यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37/38 रा. नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 304/2 रकबा 0.920 हैक्टे., खसरा नं. 305/2 रकबा 0.400 हैक्टे., खसरा नंबर 306 रकबा 0.820 हैक्टे. इस प्रकार कुल रकबा 2.14 हैक्टे. भूमि याने 5.35 हैक्टे. भूमि भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्र. एल.क्र.जे.ए.007909 में दर्ज है एवं ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 37/38 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 65, 70, 71, 72, 73, 74, 43, 44, 46, 47/2, 149, 223, 304, 305 का कुल रकबा क्रमशः रकबा 0.200 हैक्टे., रकबा 0.130 हैक्टे., रकबा 0.100 हैक्टे., रकबा 0.160 हैक्टे., रकबा 0.030 हैक्टे., रकबा 0.090 हैक्टे., रकबा 0.680 हैक्टे., रकबा 0.930 हैक्टे., रकबा 0.650 हैक्टे., रकबा 0.700 हैक्टे., रकबा 1.500 हैक्टे., रकबा 0.400 हैक्टे., रकबा 0.500 हैक्टे., रकबा 0.050 हैक्टे., इस प्रकार ग्राम चंदेरी का कुल रकबा 5.49 अर्थात दोनों ग्रामों का कुल रकबा 7.63 हैक्टे. याने उन्नीस एकड़ पचहत्तर डिसमिल भूमि स्वामी हक के साथ मालिकाना कब्जा में है तथा उक्त भूमि सिंचित/असिंचित भूमि है तथा मुझ विक्रेता का नाम राजस्व खसरा रिकार्ड में दर्ज है।
2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काशतकारी भूमि भूमि ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37/38 रा. नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 304/2 रकबा 0.920 हैक्टे., खसरा नं. 305/2 रकबा 0.400 हैक्टे., खसरा नंबर 306 रकबा 0.820 हैक्टे. इस प्रकार कुल रकबा 2.14

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4294-एक/2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
6-1-17	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2016-17 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक एवं शासन के पैनल लायर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक मनोज कुमार गौड़ पुत्र सुखलाल गौड़ ने अनु०जजाति वर्ग का होने से उसके स्वामित्व की ग्राम चरगवॉ पटवारी हलका नंबर 37/38 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 304/2 रकबा 0.920 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 305/2 रकबा 0.400 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 306 रकबा 0.820 हैक्टर कुल रकबा 2.14 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) अनावेदक क्रमांक-1 महेश प्रसाद पाण्डे पुत्र स्व० एन०पी० पांडे को विक्रय करने का अनुमति आवेदन कलेक्टर जबलपुर को प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 16/2016-17 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> 	



प्र0क0 4294-एक/2016 निगरानी

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत की गई खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति वर्ष 2016-17 के अनुसार वादग्रस्त भूमि आवेदक की स्वअर्जित संपत्ति होकर उनके नाम पर दर्ज है अर्थात् आवेदक को स्वयं पट्टे पर प्राप्त भूमि न होकर विक्रय पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। खसरा सन् 2016-17 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर पाया गया कि खसरे के कालम नंबर 12 में इस प्रकार की प्रविष्टि दर्ज है -

वर्ष 2014-15 की ना.पं.क. 7 दर्ज दि. 8.1.15
न्याया.तह.महो.जबलपुर 2 वृत्त बरगी के रा.प्र.क.
24.1.15 के अनुसार दि.23.8.16 को नायव
तहसीलदार द्वारा भूमिस्वामी सुधार किया जाकर
नामांतरण किया गया है।

जब वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम है एवं नामान्तरण के द्वारा आवेदक के नाम चालू खसरे में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये स्वतंत्र माना जावेगा।

1. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरुद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8 (उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।


R/a

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4294-एक/2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	<p>3. कैलाश तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 2005 रा0नि0 66 में व्यवस्था दी गई है कि आवंटन में प्राप्त की गई भूमि का विक्रय आवंटन दिनांक से 10 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता। इसका आशय यही है कि पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष निरन्तर खेती की गई, ऐसा पट्टाधारी 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी होने से भूमि का विक्रय कर सकता है।</p> <p>स्पष्ट है कि आवेदक को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।</p> <p>3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2016-17 अ-21 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम चरगवों पटवारी हलका नंबर 37/38 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 304/2 रकबा 0.920 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 305/2 रकबा 0.400 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 306 रकबा 0.820 हैक्टर कुल रकबा 2.14 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वादग्रस्त भूमि का क्रय-विक्रय इस आदेश के पारित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा - अन्यथा यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जावेगा। 2. वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित होने के दिन उप पंजीयक सत्यापन कर लेंगे कि क्रय-विक्रय धन की अदायगी वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से एवं शासन के वर्तमान विक्रय नियमों के अधीन हो रही है। 3. केता द्वारा विक्रय फल की राशि/अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके शासन के वर्तमान क्रय-विक्रय हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप अदा की जावेगी। 	

R/na


सदस्य